न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/40/2023	2023/281	09.03.2023	23.07.2024

1.मनोज शर्मा उर्फ मधुसूदन शर्मा पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सहाय शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र करीब 36 साल, निवासी ग्राम गुरिया तहसील रैणी जिला अलवर राज०।

––अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रैणी, जिला अलवर (राज०)।

––रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राज0 दिनांक 22.03.2022 प्रकरण संख्या 12/2021–22।

उपस्थितः–

01. श्री सतीश कुमार कसाना –वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राज0 दिनांक 22.03.2022 प्रकरण संख्या 12/2021–22 से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि पटवारी हल्का बरैर द्वारा तहसीलदार रैणी के समक्ष दिनांक 11.03.2022 को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई आराजी खसरा नं0 290 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह सिवायचक भूमि पर अपीलांट द्वारा दुकान बनाकर अतिक्रमण करना बताते हुए कार्यवाही करने का निवेदन किया गया। जिस रिपोर्ट के आधार पर तहत न्यायालय तहसीलदार साहब रैणी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आगामी पेशी दिनांक 22.03.2022 नियत की गई तथा उसी दिन तहत न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए विना युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के खिलाफ अपीलांट के विरूद्ध आलोच्य निर्णय पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है।

आलोच्य निर्णय दिनांक 22.03.2022 अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 03.03.2023 को पटवारी हल्का से हुई थी जब वह अपीलांट को उसके कब्जेशुदा जायदाद से बेदखल करने के लिए आये, जिस पर उसी रोज निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो नकल सायंकाल प्राप्त हुई। तत्पश्चात् यह अपील जानकारी दिनांक 03.03.2023 से बिना देरी के अन्दर अवधि पेश है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

तहत न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार वनाकार अपीलांट को बिना सुने आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में दुकान बनाकर अतिक्रमण करना अंकित किया है, जो कतई गलत एवं मौके के खिलाफ है। अपीलांट की कोई दुकान मौके पर नहीं है अपितु अपीलांट का रिहायशी मकान वना हुआ है, जिसमें 02 कमरे भी बने हुए हैं तथा अपीलांट का बुजुर्गों के समय से ही यानि विगत काविज होकर रिहायश रखते थे तथा उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट अपने परिवार सहित यहीं पर रह रहा है। जिससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने न तो मौका देखा न मौके पर आकर किसी तरह की जांच की न अपीलांट के समक्ष व उसकी मौजूदगी में मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट मौके के खिलाफ है। यदि मौका देखा जाता तो दुकान न होकर रिहायशी मकान का उल्लेख रिपोर्ट पटवारी में किया जाता। अपीलांट अपनी मौरूसी जायदाद पर काबिज है तथा अपीलांट का कदीमी कब्जा है अपीलांट के पास रिहायश के लिए और मकान भी नहीं है।

आलोच्य आदेश में किस भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया जा रहा है, यह तक अंकित नहीं किया गया है। आलोच्य आदेश आनन–फानन में पारित किया गया है। जिसका प्रमाण यह है कि दि० 11–03–2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया और मात्र, दिन 11 में ही अर्थात दिनांक 22–03–2022 को निर्णय भी कर दिया गया। आलोच्य निर्णय में अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट की तामील किस आधार पर मानी गई है। जबकि अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस मिला, न तामील कुनन्दा कोई नोटिस लेकर मौके पर आया। इसलिए कुल कार्यवाही अपीलान्ट के पीठ पीछे से की गई है, जो विधि एवं प्रक्रिया के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है और राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार अपीलान्ट को उसकी कब्जे को विनियमन किया जाना अपेक्षित है। इसलिए बेदखली की आदेश सर्वथा खिलाफ कानून एवं राज्य सरकार के परिपत्र के खिलाफ होने के कारण भी काबिल खारिज है। अपीलान्ट व उसके परिवार के पास रहने के लिए अन्य कोई जगह नहीं है। अपीलान्ट के आस पास भी अन्य लोगों कृपाली, रामस्वरूप, रमेश, रमेश हवलदार इत्यादि के मकान बने हुए हैं, जो भी कदमी से काबिज हैं। अपीलान्ट ने कोई नवीन निर्माण नहीं कराया है, न ही कोई ताजा कब्जा किया है। अपीलान्ट का कदीमी से कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट के 2 नाबालिग पुत्रियां भी हैं। यदि अपीलान्ट को उसके जायज कब्जे की जायदाद से बेदखल कर दिया तो अपीलान्ट बेघर व बर्बाद हो जायेगा। इसलिए आलोच्य निर्णय काबिल खारिज है।

अपीलान्ट को तहत न्यायालय ने न तो सुनवाई का माकूल अवसर दिया, न ही पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्रदान किया है। इसलिए आलोच्य निर्णय किसी तरह से न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जी रैणी जिला अलवर का आलोच्य निर्णय दिनांक 22–03–2022 निरस्त फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अंकन कराया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो विधिवत मौके की जांच की गई और न अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, मौके की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। न ही निर्णय में समुचित तथ्यों का समावेश किया गया है। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पुनः विधिवत मौके की जांच की जावे और यदि अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाता है तो विधिवत प्रकरण दर्ज कर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, 45 दिवस में विधिवत विस्तृत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० * प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार